

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ****आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा****संहिता संख्या - 1138 सन् 2026****सोनू उर्फ गुरविंदर सिंह (प्रथम सूचना रेपोर्ट में)**

.....प्रार्थी(गण)

बनाम**उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ****एवं एक अन्य**

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : संतोष कुमार कनौजिया**विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता**

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार कनौजिया के साथ-साथ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री दिव्या गुप्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. वर्तमान आवेदन प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना संपूर्ण नगर, जिला लखीमपुर खीरी में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(2), 108, 115(2) के तहत पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट की अपराध संख्या 144/2025 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. उपरोक्त मामला 06.08.2025 को प्रार्थी सहित छह व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत दिए गए एक आवेदन के आधार पर दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि शिकायतकर्ता के पुत्र गुरपाल सिंह का विवाह सह-अभियुक्त कमलजीत कौर से हुआ था, जो प्रार्थी की बहन है। कमलजीत कौर अपने पति को प्रताड़ित करती थी और अन्य अभियुक्त उसका समर्थन करते थे, जिसके कारण शिकायतकर्ता के पुत्र ने 11.05.2025 को जहर खा लिया। उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 13.05.2025 को उसकी मृत्यु हो गई।
4. अग्रिम जमानत-आवेदन के समर्थन में दायर शपथ पत्र में यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।
5. जिला अपराध अभिलेख विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष प्रार्थी कुलदीप सिंह की 17 अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्तता का दावा करता है। उन सभी मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्तमान आवेदन के साथ संलग्न की गई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित कुलदीप सिंह, प्रार्थी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है। यह भी कहा गया है कि मृतक की पत्नी, कमलजीत कौर को सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, परंतु वे मामले के उपरोक्त पहलुओं का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि सह-अभियुक्त कुलदीप सिंह और रविंदर कौर उर्फ राजविंदर कौर उर्फ राज वेंदर कौर को आज यानी 16.06.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 1080 वर्ष 2026 में पारित एक आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

8. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी द्वारा किसी ऐसे विशिष्ट कार्य को किए जाने का कोई आरोप नहीं है, जो आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में आता हो, तथा मृतक की पत्नी को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और साथ ही इस तथ्य को देखते हुए कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और मामले के परिणाम को प्रभावित करने वाली कोई भी टिप्पणी किए बिना, मेरा यह मत है कि उपरोक्त तथ्य प्रार्थी को अग्रिम जमानत देने का आधार बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

9. उपरोक्त के आलोक में, प्रार्थी का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त अपराध संख्या में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-सोनू उर्फ गुरविंदर सिंह की गिरफ्तारी/उपस्थिति की स्थिति में, उसे थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय के संतोषजनक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो शोधक्षम प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों और विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली किसी अन्य शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा:

- (i). प्रार्थी जब भी आवश्यकता हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- (ii). प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा;

(iii). प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv). प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और

(v). प्रार्थी अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव नहीं बनाएगा/उन्हें नहीं डराएगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

16 जून, 2026

प्रदीप/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।